श्री श्याम लाल धुर्वे : मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित की जायेगी ताकि सही जांच हो सके और लोगों को न्याय मिल सके वरना कभी शासन के दबाव में आकर अधिकारी भी सही जांच नहीं कर सकेंगे और लोगों को न्याय नहीं मिल सकेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इसके लिए कब तक का समय निर्धारित कर सकेंगे और कब तक लोगों को न्याय दे सकेंगे ?

प्रो० मधु दण्डवते : मान्यवर, 1197 केसेज में से 410 केसेज में जांच पूरी हो गई है और आवश्यक कार्यवाही भी की गई है । समय की पाबन्दी इसलिए नहीं लगा सकते हैं क्योंकि शाह आयोग के काम को देखें तो इतने बड़े पैमाने पर केसेज आए थे जांच करने के लिए और कई मर्तबा विटनेस को भी बुलाना पड़ता है । ऐसी हालत में मैं इतना ही आश्वासन इस सदन को देना चाहता हूं कि हम जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा करने की कोशिश करेंगे और हमारी रफ्तार भी आप देखेंगे कि 1197 में से 410 केसेज का काम पूरा किया है और उस पर कार्यवाही भी की है ।

श्री श्याम लाल धुर्वे : अध्यक्ष महोदय, अभी तक 1197 में से 410 मामले ही निपटाए गए हैं,अधिकतर मामले अभी तक पेंडिंग हैं । यदि जांच की यही गति रही तो जल्दी लोगों को न्याय नहीं मिल सकेगा। लम्बे अर्से तक जांच चलने पर इसमें बहुत सी गड़बड़ियां पैदा होंगी जिसके कारण लोगों को उचित न्याय नहीं मिल सकेगा। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री जी इसके लिए कौन सा मार्ग अपना रहे हैं जिससे कि लोगों को जल्दी न्याय प्राप्त हो सके ?

प्रो० मधु दण्डवते : मैं एक ही प्रश्न का दो मर्तबा जवाब नहीं दे सकता हूं, पहले मैंने उसका जवाब दे दिया है ।

श्री राघवजी : मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जो 410 मामलों में जांच पूरी हो चुकी है उनमें कौन से अधिकारी दोषी पाए गए हैं और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ? इसके अलावा जो शेष मामले हैं उनकी जांच कौन से अधिकारी कर रहे हैं और क्या उनको स्पेशल कोर्टस् में भेजेंगे ?

प्रो० मधु दण्डवते : जो हमारे पास शिकायतें आई थीं वह ऐसी शिकायतें थीं जिनमें शाह आयोग ने समझा कि इनमें कोई बुनियादी जांच करने की आवश्यकता नहीं है, इन मामलों की जांच प्रशासन के स्तर पर रेलवे भी कर सकती है । वे केसेज थे—

victimisation, sterilization, transfers, removal from service, withholding, promotions, reversions, removal of encroachment on Railways, premature retirement.

इस प्रकार के केसेज थे । जो 410 मामले हैं उनकी सारी फेहरिस्त तो मैं इस समय नहीं दे सकता हूं ।

श्री राघवजी : कितने अधिकारी दोषी पाए गए थे ?

प्रो० मधु दण्डवते : 410 केसेज जो हैं उसमें सम्बन्धित लोगों का विविटमाईजेशन वगरह किया गया था, उनको वापिस लिया गया है, उनके प्रीमेच्योर रिटायरमेन्ट को समाप्त किया गया है । उसमें अधिकारियों को दोषी ठहराने का कोई सवाल नहीं है । लेकिन यह जो काम हुआ था वह गलत हुआ था और उसके बारे में आवश्यक कार्यवाही की गई है ।

SHRI M. RAM GOPAL REDDY: One of the complaints mentioned by the Minister was forcible sterilization. Now, wherever forcible sterilization had taken place, does the Minister propose to re-connect the same so that they may go on producing as many children as they like?

MR. SPEAKER: This does not arise.

Capital contribution to State Road Transport Corporation of Madhya Pradesh

*891. DR. VASANT KUMAR PANDIT: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Railway Board provides capital contribution to State Road Transport Corporations in the ratio of 2:1 according to the provisions of Section 23 of the Road Transport Corporation Act, 1950;

(b) if so, what are the arrears of such capital contribution to be paid to the State Road Transport Corporation of Madhya Pradesh; and

(c) if so, when would the above arrears be cleared?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE): (a) Yes, Sir.

(b) Nil.

(c) Does not arise.

DR. VASANT KUMAR PANDIT: Will the hon. Minister inform the House whether there is any proposal under consideration of the Railways

from the Government of Madhya Pradesh for capital investment in purchase of new chassis, setting up of Depot, new workshops and tool rooms? If so, how long he will take to clear that proposal?

PROF. MADHU DANDAVATE: This question has nothing to do with the question that is under consideration. But if you want me to say something on this, I will do so.

MR. SPEAKER: I do not want you to say anything on that.

DR. VASANT KUMAR PANDIT: Will the Government consider increasing the ceiling fixed by the Planning Commission under the Road Transport Corporation Act, 1950? Now, 30 years have gone and those basis which were settled at that time, have almost become out dated. Now the expansion programme of many of the State Road Corporations are held up because of non-availability of contribution from the Central Government.

PROF. MADHU DANDAVATE: As far as the capital contributions are concerned, it is the Planning Commission who always decide as to the ceiling for the capital contribution to be made by a particular State to the State Corporation and the matching grant is also to be made by the Central Government through the Railways. Already the allocations have been made. But in the past some of the State Governments made higher capital contributions and on that basis demanded matching higher contribution from the Railways. The Planning Commission have however taken a very favourable view. They have decided to waive the past irregularities and we are allowing the matching contribution. But in future, whatever ceiling has been fixed that will be strictly adhered to.

श्री द्वारिकानाथ तिवारी : मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो कंट्रीब्यूशन आप करते हैं उसके हिसाब-किताब की कोई जांच होती है या नहीं ? अगर जांच होती है तो आज तक क्या प्राफिट हुआ या लास हुआ—इसका कोई हिसाब आप दे सकते हैं ?

प्रो० मधु दण्डवते : मैंनें कई दफा इस सदन में स्पष्ट किया है कि रेलवे के जरिए जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन दिया जाता है उसमें हम सिर्फ कैरियर एजेंसी हैं। सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के जनरल रेवेन्यूज से हमें पैसा दिया जाता है और बताया जाता है कि वह पहुंचा दें। वैगन मूवमेन्ट का काम तो हम करते हैं बाकी एकाउन्ट्स वगैरह रखने का जो काम है और उसकी जांच की जिम्मेवारी रेलवे की नहीं हैं ।

SHRI YASHWANT BOROLE: Wheter the Maharashtra State Transport Corporation has anything to recover by way of matching contribution. . .

MR. SPEAKER: Excepting the first letter 'M', there is no connection.

Loss to Railways during 1978-79 Floods

*892. DR. P. V. PERIASWAMY: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the total physical loss suffered by the Railways in 1978-79 floods and the consequent total revenue loss;

(b) whether Government have implemented the valuable recommendations made by the Committee of Engineers as early as 1959 about Railway Bridges designing, about long-term plan involving the survey of 375 rivers by the Indian Meteorological Department, the Central Water and Power Commission and other technical agencies for collecting hydrometeorological data all over the country; and

(c) if not, the reasons for the delay in implementing them?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE): (a) The loss suffered by the Railways